

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरवाड़ जिला अजमेर (राज0)

राजस्व वाद संख्या 124/2017

1. श्री छीतर खां (मृतक)
 - 1/1 हगामी बेवा छीतर खां।
 - 1/2 सददीक मोहम्मद पुत्र छीतर खां।
 - 1/3 लाल मोहम्मद पुत्र छीतर खां।समस्त जाति मुसलमान, निवासी ग्राम जोतायां तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।
- 1/4 सप्पी बानो पत्नी खुदाबक्श पुत्री छीतर खां नि0 आकड़सादा तह. आसींद जिला भीलवाड़ा
- 1/5 छोटी बानो पत्नी सुबराती पुत्री छीतर खां नि0 मसूदा तह. मूसदा जिला अजमेर।
- 1/6 चांद बानो पत्नी नजरुद्दीन पुत्री छीतरखां नि. मनोहरपुरा तह. सरवाड़ जिला अजमेर।

2. शाहबुद्दीन (मृतक)
 - 2/1 फिरोज खां पुत्र शाहबुद्दीन।
 - 2/2 मुन्नी।
 - 2/3 रोशन।
 - 2/4 रूकसाना।
 - 2/5 खातून।

समस्त जाति मुसलमान, निवासी जोतायां, तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।

3. श्रीमती भूरी बेवा रसूलखां, जाति मुसलमान, निवासी जोतायां, तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।

वादीगण

बनाम

4. इब्राहीम पुत्र भूरे खां, जाति मुसलमान निवासी जोतायां तह. सरवाड़ जिला अजमेर।
5. सुलेमान।
6. चांद मोहम्मद।
7. गफफार।
8. अजीज।
9. अमरदीन।

समस्त पुत्र रसूल खां, जाति मुसलमान निवासी जोतायां तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।

10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरवाड़ जिला अजमेर।

प्रतिवादीगण

वादपत्र अंतर्गत धारा 53,88,188,209 राज0काश्त0अधि0

अंतिम निर्णय

दिनांक:- 30.10.2019

अभिभाषक:- - वादी शोलेन्द जैन - उपस्थित
प्रतिवादी निहाल चन्द जैन- उपस्थित

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी के निर्णय दिनांक 6.11.2003 के विरुद्ध माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर से बाद रिमाण्ड निर्णय दिनांक 1.9.2008 की पालना हेतु प्राप्त हुई जिसमें प्रकरण में पुनः ग्राम जोतायां की जमाबंदी संवत् 2069-88 के खाता संख्या नया 707 किता 18 रकबा 6.44 हैक्ट. एवं जमाबंदी संवत् 2069-2088 के खाता संख्या नया 658 किता 20

①
उपखण्ड अधिकारी
सरवाड़ जिला-अजमेर



रकबा 12.99 हैक्ट. जमाबंदी संवत् 2069-2088 के खाता संख्या नया 639 किता 15 रकबा 6. 60 हैक्ट. का बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर कुरेजात तैयार कर राजस्व मेन्युअल के नियम 18 से 21 की पालना में मिट एण्ड बाउण्डस के आधार पर तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार टांटोटी को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया था। जिसकी पालना में तहसीलदार टांटोटी ने अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक/भू0अ0/2018/884 दिनांक 04.12.2018 के अनुसार दोनो पक्षों की मौजूदगी में बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया। न्यायालय हाजा में दोनो पक्ष हाजिर हुये व प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव पर कोई आपत्ति जाहिर नही की अतः दोनो पक्षों की सहमति व तहसीलदार टांटोटी से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 4.12.2018 स्वीकार किया जाता है। दोनो पक्ष में निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है-

क्र. स	नाम खातेदार	साबिक ख.न.	रकबा	नवीन ख.न	रकबा	क्रिस्म भूमि
1	शाहबुद्दीन पुत्र भूरे खां कोम मुसलमान	109	5-0-2	124	0.83	बा.2
		3774 / 1200	3-0-2	1390	0.51	पेटा तालाब
		1226	3-17-10	1424	0.62	पेटा तालाब
		1935	1-5-10	2214	0.21	नहर 1
		3641 / 2034	1-5-10	2324	0.20	पेटा तालाब
		3756 / 2094	2-5-4	2385	0.40	पेटा तालाब
		3749 / 2154	0-10-01	2451	0.10	बा.2
		2157	1-10-10	2454	0.24	चा.3
		2158	1-15-10	2455	0.29	चा.3
		2180	1-5-10	3118	0.21	बा.2
		951 मि.	2-5-1	1134	0.37	बा.1

शेष ख.न. 951 मि रकबा 2-5-1 भूमि का शाबुद्दीन द्वारा बेचान कर दिया गया है जिसका अमल दरामद पूर्व डिक्री मे किया जा चुका है।

क्र. स	नाम खातेदार	साबिक ख.न.	रकबा	नवीन ख.न	रकबा	क्रिस्म भूमि
2	सुलेमान चांद मोहम्मद गफफार,अजीज,अमरुद्दीन,पि. रसुल खां भूमि बेवा रसुल खां कोम मुसलमान सा देह	529	3-3-10	643	0.52	बा.2
		1859	2-3-10	2131	0.35	बा.2
		2011	2-12-10	2295	0.42	पेटा ता.2
		2034	1-5-10	2323	0.21	पेटा ता.1
		2160	1-12-10	2457	0.26	चा.3
		2784	3-15-00	3122	0.61	न.2
		1128	1-9-0	1316	0.24	बा.3
		1200	3-2-10	1391	0.51	पेटा ता.1
		1860	0-12-10	2134	0.03	बा.2
		2032	4-10-10	2318	0.73	पेटा ता.1
		2154	0-11-0	2449	0.09	बा.2
		2779	1-4-0	3115	0.19	बा.3
		951 मि.	1-18-10	1132	0.31	बा.1


उपस्थित अधिकारी
सरवाइ जिला-अजमेर



क्र.स	नाम खातेदार	साबिक ख.न.	रकबा	नवीन ख.न	रकबा	किस्म भूमि
3	इब्राहिम पुत्र भूरे खां कोम मुसलमान सा.देह	3748 / 2032	2-2-0	2319 मि	0.34	पेटा ता.1
		3737 / 529	3-3-10	642	0.51	बा.2
		3746 / 1200	3-2-10	1395	0.51	पेटा ता.1
		1858	1-15-0	2130	0.30	बा.2
		3747 / 1860	0-12-10	2132	0.10	बा.2
		3738 / 2011	2-12-10	2296	0.43	पेटा ता.2
		3739 / 2034	1-5-10	2322	0.21	पेटा ता.1
		3751 / 2154	0-11-10	2450	0.09	बा.2
		3742 / 2160	1-13-0	2458	0.27	चा.3
		2637	2-14-0	2967	0.44	न.1
		3754 / 2779	1-3-10	3114	0.19	बा.3
		950	0-9-10	1126	0.08	गे.मु.पाल
		951 मि. 2159मि.	4-4-10 2-10-10	1133 2456 मि.	0.69 0.41	बा.1 चा.3

क्र.स	नाम खातेदार	साबिक ख.न.	रकबा	नवीन ख.न	रकबा	किस्म भूमि
4	छीतर पुत्र भूरे खां-सददीक लालमोहम्मद पि. छीतर खां, हगामी बेवा छीतर	220	3-10-0	268	0.59	बा.2
		3743 / 1128	1-9-0	1315	0.23	बा.3
		3645 / 1200	3-0-2	1387	0.50	पेटा ता.1
		3755 / 1226	3-18-0	1423	0.63	पेटा ता.1
		2159 मी.	2-0-2	2456 मि.	0.34	चा.3
		3740 / 2034	1-5-10	2321	0.21	पेटा ता.1
		2094	2-8-10	2384	0.39	पेटा ता.1
		3750 / 2154	0-11-10	2448	0.09	बा.2
		2155	0-18-0	2452	0.15	चा.3
		3753 / 2779	1-0-3	3116	0.19	बा.3
		2782	2-17-10	3120	0.46	न.2
		951	2-2-10	1128	0.34	
		3748 / 2032 मि.	2-8-10	2319 मि.	0.39	पेटा ता.1

तहसीलदार टांटोटी की रिपोर्ट में पूर्व डिक्री व नवीन प्रस्तावित प्रार.डिक्री अनुसार क्र.स 1 व क्र.स.2 सुलेमान वगै पि रसूल व शाहबुदीन पुत्र भूरे खां का रकबा यथावत है तथा इब्राहिम पि.भूरे खां के ख.न साबिक 2159 में से 2-2-0 जिसके नवीन ख.न.2456 मि.रकबा 0.34 हैक्टर किस्म चा.3 सदीक,लाल मोहम्मद,पिसरान छीतर खां व हगामी बेवा छीतर के नाम एवं साबिक ख.न.3748/2032 मि.रकबा 2-2-0 जिसके नवीन ख.न.2139 मि.रकबा 0.34 हैक्टर है दर्ज करने की स्वीकृति दी जाती है तहसीलदार टांटोटी उक्तानुसार रेकार्ड में अमद दरामद



उपखण्ड अधिकारी
सरवाइ जिला-अजमेर



करे । प्रतिवादी द्वारा 300 रूपये के नान ज्यूडीशियल स्टाम्प प्रस्तुत करने पर अंतिम डिक्री जारी करे ।बाद तकमील आदेश मिसल नंबर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो ।

आदेश आज सरे इजलास मेरे द्वारा सुनाया गया ।




(नारायणी वैष्णव)
उपखण्ड अधिकारी
सरवाइ जिला-अजमेर